## प्रेस विज्ञप्ति

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा–परीक्षा पर टिप्पणियां

**नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2012**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट सम्मानित संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी है।

यह रिपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGIA) के निजीकरण के विशेष संदर्भ के साथ AAI के निष्पादन पर CAG द्वारा कराई गई लेखा–परीक्षा से संबंधित है। अतः इस मसले के संबंध में सभी सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) या नागरिक विमानन मंत्रालय (MOCA) उपयुक्त और सक्षम प्राधिकारी हैं।

हालांकि इनमें से कई मसलों पर मंत्रालय और लेखा–परीक्षकों के बीच चर्चा हो चुकी है और इनका विस्तार से जवाब दिया जा चुका है, जिनका उल्लेख उनकी अंतिम रिपोर्ट में भी नहीं किया गया है। यहां तक कि नागरिक विमानन के पूर्व सचिव ने भी एक अलग पत्र में लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को इस दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है।

अतः हमें अफसोस है कि समर्पित प्रयासों और राष्ट्रीय सरकार की सुविचारित नीति के आधार पर तैयार किए गए हवाई अड्डे पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। हमारे लिए यह भी चिंता का विषय है कि अपूर्ण और गलत तथ्यों को आधार बनाकर मीडिया में लगातार कंपनी की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अतः अपना पक्ष रखने के लिए हम अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं :

1. DIAL को बोली प्रक्रिया से पहले, दौरान या बाद में सरकार से कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त उद्यम के निजीकरण और चयन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित थी जो सक्षम निकायों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तैयार की गई थी और 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसे बरकरार रखा गया था।
2. यह आरोप लगाया गया है कि हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए DIAL को 1,63,557 करोड़ रुपये की भूमि केवल 100 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से सौंपी गई थी :
    a. AAI द्वारा DIAL को हवाई अड्डे की भूमि पट्टे पर देने का मकसद न तो भूमि को बेचना था और न ही इससे रेंटल आय प्राप्त करना था।
    b. हवाई अड्डा चलाने के लाइसेंस देने का आधार वह राजस्व शेयर था जो बोलीदाताओं ने AAI को उद्धृत किया था।
    c. DIAL को उपलब्ध कराई गई संपूर्ण वाणिज्यिक भूमि का न तो कोई आसन्न वाणज्यिक मूल्य है और न ही इसे इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है इसलिए इसका तुरंत मुद्रीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः केवल एक एकड़ के मूल्य का इस्तेमाल करना और पूरी भूमि पर इसको लागू करना गणित की अच्छी आंकड़ेबाजी तो हो सकती है मगर यह व्यावहारिक नहीं है।
    d. वस्तुतः गणना की इसी विधि का प्रयोग करने से AAI को DIAL से 54 वर्षों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व शेयर प्राप्त होगा।

3. यह आरोप कि हवाई अड्डा विकास शुल्क (ADF) बाद में लाया गया और इसे केवल DIAL को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया, पूरी तरह से असत्य है :
    a. ADF की अनुमति बोली प्रक्रिया शुरू होने से काफी पहले और AAI एक्ट 1994 की धारा 22ए और 2003 में इसमें किए गए संशोधन के आधार पर दी गई है और सभी बोलीदाता इसके बारे में जानते थे।
    b. हवाई अड्डे के निजीकरण के लिए AAI एक्ट प्राइमरी शासी विधान है, जैसा कि ट्रांजक्शन दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।
    c. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 26 अप्रैल 2011 के अपने आदेश में ADF की वसूली को वैध ठहराया है।
4. 30 वर्ष + 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि जो DIAL को प्रदान की गई है, इसे DIAL के लिए अनुचित लाभ बताया गया है, जो सत्य नहीं है :
    a. अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इस तरह की लंबी अनुबंध अवधियां सामान्य मानी जाती हैं क्योंकि इनमें निवेश विशाल और परिपक्वता अवधि लंबी होती हैं।
    b. इसके अलावा, हालांकि यह बोली की एक शर्त थी जिसकी जानकारी सभी बोलीदाताओं की थी इसलिए बोलीदाताओं ने बोली उद्धृत करने से पहले इस शर्त पर विचार कर लिया था।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) भारत में अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल की उत्कृष्ट मिसाल है। 25–40 मिलियन पैसेंजर प्रतिवर्ष की श्रेणी में IGIA को दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। IGIA की मौजूदा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) रेटिंग 4.73/5.00 आंकी गई है जो रियायत समझौते में दी गई रेटिंग 3.75/5.00 से काफी अधिक है। यह इस समय भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो प्रतिवर्ष 36 मिलियन यात्रियों को सेवित करता है, 600,000 टन कार्गो की ढुलाई करता है और 300,000 से अधिक एयरक्राफ्ट मूवमेंट का प्रबंधन करता है। NCAER के अनुसार, IGIA देश के जीडीपी में 0.45 प्रतिशत और दिल्ली राज्य के जीडीपी में 13.53 प्रतिशत का योगदान करता है। इसने 15,78,000 रोजगार का भी सृजन किया है, जो दिल्ली के कुल रोजगार का 25.9 प्रतिशत और देश के कुल रोजगार का 0.34 प्रतिशत है।

**DIAL के बारे में**

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लि. (DIAL), GMR ग्रुप, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फ्रापोर्ट और मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग बरहाद का संयुक्त उद्यम है। DIAL द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये विकसित की जा रही परियोजना को 30 वर्ष के एक और विस्तार के विकल्प के साथ 30 वर्ष के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण, चलाने और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

**अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें :**

अरुण भगत
EVP और ग्रुप हेड– कार्पोरेट कम्युनिकेशन्स
ईमेल: arun.bhagat@gmrgroup.in

सप्तऋषि सन्याल
हेड – कार्पोरेट कम्युनिकेशन, DIAL
ईमेल: saptarshi.sanyal@gmrgroup.in